सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-26 अंक-23 7 से 21 दिसम्बर, 2011 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ भारत बंद के समर्थन में

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे

खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी पूँजीनिवेश को मंजूरी देने के कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के फैसले के खिलाफ कॉनफैडरेशन ऑफ ऑल इण्डिया ट्रेडर्स और भारत व्यापार उद्योग मण्डल द्वारा 1 दिसम्बर के अखिल भारतीय व्यापारिक बंद के किये गये आह्वान को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 27 नवम्बर, 2011 को एक प्रेस बयान जारी कर पूर्ण समर्थन दिया। सरकार को इस बर्बादी लाने वाले रास्ते से कदम वापस हटाने के लिए मजबूर कर डालने के लिए शक्तिशाली आन्दोलन खड़ा करने की नितांत जरूरत पर जोर देते हुए कॉमरेड घोष ने देशभर में पार्टी की सभी इकाइयों का आह्वान किया कि प्रस्तावित बंद में सक्रिय रूप से भाग लें और इसे जबरदस्त कामयाब करें।

नई दिल्ली : कांग्रेस के नेतृत्ववाली केन्द्र की यूपीए-2 सरकार द्वारा एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में 100 प्रतिशत व मल्टीब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की मंजूरी के विरोध में एस.यू.सी.आई.(सी) की केन्द्रीय कमेटी के आह्वान पर देशव्यापी व्यापारिक बंद के समर्थन में दिल्ली के करोल बाग, खजूरी-भजनपुरा, बुराड़ी-मुकुंदपुर के क्षेत्रों में जुलूस निकाले व सभाएं कीं। एसयूसीआई (सी) के कार्यकर्ता 'खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्णय वापस लो', 'एफ.डी.आई. को बुलावा मतलब महंगाई-बेरोजगारी में वृद्धि को न्यौता' आदि नारों से लिखे बोर्ड हाथ में लिए हुए थे। अलग-अलग जगह हुई जनसभाओं को एसयूसीआई (सी) की दिल्ली राज्य कमेटी के सदस्य कॉ. प्राण शर्मा, कॉ. के.सी.तिवारी, कॉ. मैनेजर चौरसिया के अलावा लोकल कमेटी के इंचार्ज एस.एस. बक्शी, पी. के. पवार, दयालु मिश्रा आदि ने सम्बोधित किया।

पटना (बिहार) : खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के खिलाफ अखिल भारतीय व्यापार परिसंघ तथा भारत व्यापार उद्योग मंडल द्वारा आहूत 1 दिसम्बर के बंद के समर्थन में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर निकल कर लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की तथा कांग्रेस नीत यूपीए की केन्द्र सरकार के इस पूर्णत: जनविरोधी फैसले के खिलाफ पटना जंक्शन गोलम्बर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला दहन किया।

पुतला दहन के उपरांत आयोजित सभा को सभा को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) राज्य कमेटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. शिवलाल प्रसाद, कॉ. इन्द्रदेव राय, जिला कमेटी सदस्य कॉ. अवधेश कुमार, कॉ. सूर्यकर जितेन्द्र, कॉ. राजकुमार चौधरी, कॉ. अनामिका आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से छोटे-छोटे खुदरा व्यापारी बर्बाद हो जायेंगे। वक्ताओं ने कहा कि खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से देश में बेरोजगारी का बढ़ना और आम

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) द्वारा

खुदरा व्यापार में एफडीआई का कड़ा विरोध

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 26 नवम्बर, 2011 को जारी एक प्रेस बयान में कहा : हर तबके के लोगों की ओर से हो रहे पुरजोर विरोध की घोर अवहेलना करते हुए मल्टीब्राण्ड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को मंजूरी देने और सिंगलब्राण्ड खुदरा व्यापार में एफडीआई की 51 प्रतिशत की हदबंदी (कैप) हटा लेने के केन्द्र की कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के अत्यन्त घिनौने कदम का हम कड़ा विरोध करते हैं। शासक भारतीय पूँजीपति वर्ग का यह विनाशकारी कदम खुदरा व्यापार क्षेत्र को पूरी तरह विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कब्जे में ले लिये जाने का मार्ग प्रशस्त कर देगा जो खुदरा कारोबार में लगे करोड़ों छोटे-मझौले किराना दुकानदारों, रेहड़ी-पटरीवालों व फेरी लगाने वालों को उनकी रोजी-रोटी कमाने के एकमात्र साधन से वंचित कर देगा और आजीविका कमाने के किसी वैकल्पिक रास्ते के अभाव में उन्हें असल में रास्ते के भिखारी बना देगा। भारत में इस क्षेत्र पर लम्बे अर्से से अपनी गिद्धदृष्टि लगाये बैठी बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव के सामने झुककर सरकार ने शासक भारतीय पूँजीपति वर्ग के वर्ग-स्वार्थों को पूरा करते हुए बढ़ती महंगाई के कमरतोड़ बोझ से पहले से ही हांफते हुए उपभोक्ताओं के कंधों पर विदेशी खुदरा कारोबार के मालिकों के फरमान पर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ायी जाने वाली मनमानी कीमतों का खतरनाक बोझ और सहने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया है।

करोड़ों लोगों की जिन्दगी और रोजी-रोटी पर सरकार का ऐसा भीषण हमला देश के लिए कहर बरपाने वाला है। इसे आसानी से सफल नहीं होने दिया जा सकता और देशवासी बर्बाद कर देने वाले सरकार के इस कदम का पुरजोर प्रतिरोध अवश्य करेंगे।

महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन

बैंगलोर: 29 नवम्बर : ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की अखिल भारतीय कमेटी द्वारा आयोजित महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज 'ए.आई.एम.एस.एस. जिन्दाबाद', 'महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करो' 'ऐतिहासिक राष्ट्रीय सम्मेलन सफल करो' के गूँजते नारों के बीच हुआ। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन बैंगलोर के प्रसिद्ध सांस्कृतिक केन्द्र-रवीन्द्र कलाक्षेत्र- में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व चैयरमेन जस्टिस एम.एन. वैंकट चलैया के कर कमलों द्वारा हुआ। 20 राज्यों से आई 1000 से ज्यादा महिला प्रतिनिधियों ने विशिष्ट वक्ताओं द्वारा महिलाओं की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर रखे गए सारगर्भित वक्तव्यों को ध्यान पूर्वक सुना।

जस्टिस एम.एन. वैंकट चलैया मुख्य वक्ता थे। अन्य बातों के अलावा उन्होंने कहा, ''यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन है। भारत सहित दुनियाभर में महिलाएं भेद-भाव का सामना कर रही हैं। गरीब बुजुर्गों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। विवाहित महिलाओं में 47 प्रतिशत की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाती है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों में सजा की तीव्रता से भी ज्यादा इसका सुनिश्चित होना जरूरी है। जहाँ महिलाओं को अन्याय के खिलाफ लड़ने की जरूरत है

(शेष पृष्ठ 2 पर)

खुदरा व्यापार..

(पृष्ठ 1 का शेष)

आदमी की बदहाली में और इजाफा होना तय है और साथ ही खुदरा सामानों की कीमतों में भी भारी इजाफा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने 'वाल मार्ट' से गहराते संकट को देखकर अपने देशवासियों से छोटे या खुदरा व्यवसायियों से ही सामान खरीदने की बात की है, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निर्णय को लागू करने पर अड़े हुए हैं। जबकि अमेरिका में 'वाल मार्ट और गरीबी' विषय पर किये गये एक अध्ययन को मानें तो जिन अमेरिकी राज्यों में वाल मार्ट की ज्यादा कंपनियां हैं वहां ज्यादा गरीबी पायी गयी है। खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से बिचौलियों की संख्या घटेगी और किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, सरकार के इस तर्क का खंडन करते हुए वक्ताओं ने आम जनता से इस पूर्णत: जनविरोधी फैसले के खिलाफ ताकतवर आंदोलन निर्मित करने की अपील की।

अमरोहा (उ.प्र.): एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) की जे.पी. जिला कमेटी ने 1 दिसम्बर 2011 को ऑल इण्डिया ट्रेड एसोसिशन के भारत बन्द का समर्थन किया और खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. का विरोध किया। इस दिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलैक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डी.एम. जे.पी. नगर (उ.प्र.) को सौंपा। प्रदर्शनकारियों में पार्टी जिला इंचार्ज कॉमरेड शील कुमार, गम्भीर सिंह, सिद्धराज सिंह, एडवोकेट राजेन्द्र सिंह, देवराज सिंह, बलबीर सिंह, वीरेन्द्र सिंह, मेवाराम, शिवचरण सिंह, महेन्द्र सिंह, मुख्तार सिंह पहलवान, भरतू चौधरी आदि रहे।

कपास का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग पर
किसान-खेतमजदूरों का प्रदर्शन

हिंगणा (महाराष्ट्र): 23 नवम्बर को हिंगणा में किसान खेतमजदूर संघ के बैनर तले सैकड़ों किसानों और खेत-मजदूरों ने पंचायत समिती के सामने से हिंगणा तहसील कार्यालय तक मोर्चा निकाला और मुख्यमंत्री के नामएक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। मोर्चे का नेतृत्व कॉ माधव भोंडे, नरेन्द्र गुन्जरकर, किन्ही धानोली के उप सरपंच विनोद उमरेडकर, दाभा के उप-सरपंच मंगलदास चव्हान, चिंचोली पठार के माजी सरपंच लक्ष्मण बोरीवार, मानिक मेश्राम ग्राम पंचायम सदस्य उमरी वाघ, प्रमोद डाखले, सदस्य माहगाव-झिली आदि गणमान्य व्यक्तियों ने किया। मोर्चे में किन्हीं-धानाली, मोहगाव-झिलपी, उमरी (वाघ), आगरगाव-दाभा, चिंचोली पठार, मांढा-पांजरी, देवली-सावंगी के किसान और खेत-मजदूर शामिल थे।

वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार विदर्भ के कपास-सोयाबीन-धान उत्पादक किसानों को गुमराह कर रही है। पिछले साल कपास का समर्थन मूल्य 4250 रुपये प्रति क्विंटल दिया था। पिछले एक साल में 12 बार पेट्रोल, डीज़ल के भाव बढ़ने से बीज, खाद, कीटनाशक और खेती के औजारों का खर्च बढ़ने से उत्पादन खर्च बढ़ा है। लेकिन अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी, कृषि मंत्री शरद पंवार जैसे अनुभवी नेता होने पर भी उन्हें ज्ञान कैसे नहीं है कि इस साल कपास को सिर्फ 3300 रुपये सर्मथन मूल्य देकर किसानों का क्रूर मजाक उड़ाया गया है। परन्तु औद्योगिक वस्तुओं के भाव बढ़कर आसमान छू रहे हैं किसान-खेत मजदूर संगठन ने उत्पादन खर्च के आधार पर कपास का समर्थन मूल्य 6500 रुपये प्रति क्विंटल देने की मांग की।

महिलाओं पर....

(पृष्ठ 1 का शेष)

वहीं उन्हें अपने ज्ञान और योग्यता को बढ़ाने का प्रयास भी करना है। भविष्य में विज्ञान और टैक्नोलॉजी का जबरदस्त विकास होगा लेकिन न्याय और बराबरी के बिना आर्थिक विकास भयंकर खतरों से भरा होगा।'' उन्होंने कुछ प्रेरणादायक दृष्टान्तों का जिक्र किया जहाँ भयंकर बाधाओं के बावजूद महिलाएं विजयी होकर उभरी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी.एन.श्री कृष्णा सम्मानित अतिथि थे। उन्होंने कहा, ''महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र (1993) में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से गैर बराबरी पर आधारित शक्ति सम्बंधों की अभिव्यक्ति है और महिलाओं को अधीनस्थ करने के लिए पुरुषों द्वारा अपनाई गई निर्णायक सामाजिक प्रक्रिया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा विभिन्न रूपों में होती है जैसे घरेलू हिंसा, भीड़ की हिंसा और सरकारी हिंसा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने दर्ज किया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से भी ज्यादा है जबकि बहुत बड़ी संख्या में मामले दर्ज ही नहीं होते हैं। हालाँकि भारतीय दंड संहिता के तहत बहुत से कानून हैं लेकिन उन्हें जरूरतों के अनुकूल होना चाहिए और अपराधियों को प्रभावकारी और तुरन्त सजा दी जानी चाहिए। मार्क्स को उद्धृत करते हुए मैं कहूँगा कि 'दुनिया की महिलाएं एक हों, अपनी गैर बराबरी के सिवाय तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है।''ए.आई.एम.एस.एस. की अध्यक्ष कॉमरेड छाया मुखर्जी और महासचिव डॉक्टर एच.जी. जयालक्ष्मी जिन्होंने महीनों तक अविराम देश भर का दौरा किया और इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, मंच पर उपस्थित थीं। डॉक्टर जयालक्ष्मी ने प्रतिनिधियों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए कहा, ''महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने और इस जटिल समस्या का दीर्घस्थाई समाधान खोजने के लिए अनेक गणमान्य व्यक्ति और हजारों वीरांगनाएं इस विशाल समावेश में एकजुट हैं। हम बेहतर कानूनों और विधेयकों तथा उनके कारगर अमल की मांग सहित प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने का प्रयास करेंगे। मुझे यकीन है कि ए.आई.एम.एस.एस. के विशाल और बढ़ते नेटवर्क के माध्यम से तथा ऐसे प्रसिद्ध महानुभावों की मदद से हम अवश्य विजयी होंगे।'' कॉमरेड छाया मुखर्जी ने उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, ''इस आधुनिक 21वीं सदी में भी महिलाओं पर अपराध निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक-वैधानिक कार्रवाइयों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन समय की मांग है जिसके चलते समाज का बुनियादी सांस्कृतिक उत्थान होगा। महिलाओं को स्वतन्त्रता खैरात या तोहफे में नहीं मिलेगी बल्कि इसके लिए उन्हें खुद लड़ना होगा। किसी देश की प्रगति को उस देश की महिलाओं की स्थिति से नापा जा सकता है। सही सोच रखने वाले पुरुषों की मदद से हम मुक्ति पथ पर आगे बढ़ेंगी।'' 29 नवम्बर को ही सुबह जानी मानी साहित्यकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्रीमति वैदेही ने एक चार्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें ए.आई.एम.एस.एस. द्वारा किए गए प्रेरणादायक आन्दोलनों और कार्यक्रमों का चित्रण किया गया है। जिनके चलते यह राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के एक अग्रणी संगठन के रूप में उभरा है। श्रीमति संगीता कट्टी द्वारा प्रस्तुत प्रगतिशील गानों ने उद्घाटन अधिवेशन में समां बांध दिया। सांस्कृतिक ग्रुप 'अंकुर' ने एक सारगर्भित नाटक 'विमुक्ति पयान' का मंचन श्रीमति लक्ष्मी नडागोडा के निर्देशन में किया, जिसकी विषयवस्तु थी महिलाओं के मुक्ति-संघर्षों का वर्तमान और भविष्य।

जन प्रतिनिधियों को 'वापस बुलाने' के अधिकार के प्रसंग में

राईट टू रिकॉल

प्रतिनिधियों को चुनने की तरह ही उन्हें वापस बुलाने का मतदाताओं का न्यायसंगत अधिकार (राइट टू रिकॉल) जनता के पास रहना वाजिब है कि नहीं इस बात को लेकर एकबार फिर नये सिरे से देश के अलग-अलग में चर्चा-बहस छिड़ गई है। हाल ही में हुए भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन के प्रति लोगों का प्रबल जनसमर्थन देखकर अन्ना हजारे द्वारा इस माँग को लेकर आन्दोलन करने की बात कहने पर ही मौजूदा चर्चा-बहस की शुरूआत हुई है। महंगाई, बेरोजगारी सहित सर्वव्यापक संकट में हमारे देश के ज्यादातर लोगों की हालत किस कदर असहनीय हो गई है यह शब्दों में बयाँ नहीं किया जा सकता और बयाँ करने से भी समझ में नहीं आ सकता। देश की सत्तारूढ़ राजनैतिक पार्टियों के छोटे-बड़े नेताओं के मधुर वचनों, वायदों, आश्वासनों की झड़ी आदि किसी से भी इस सर्वग्रासी संकट को वे छिपा कर रख नहीं पा रहे है। लम्बे अर्से से जमा जनाक्रोश का हाल ही में हुए भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन में जन ज्वार के जरिये इजहार हुआ है। देश के कर्णधार, केन्द्र व राज्यों की सत्तारूढ़ विभिन्न पार्टियों के नेताओं के खिलाफ जन रोष फट पड़ने वाला है यह भांप कर ही अन्ना हजारे ने इस आन्दोलन की बात उठायी है। गाँधीवादी सोचविचार के मुताबिक चलने की वजह से श्री हजारे का मानना है कि पूँजीवादी समाज व्यवस्था को बरकरार रखते हुए भी महज चंद भ्रष्ट मंत्रियों को बदल देने से ही शायद भ्रष्टाचार मिट जाएगा, लोगों की दुर्दशा कमतर हो जाएगी। पूँजीवादी शोषण-लूट की आग में जलते हुए लोगों ने भी जरा राहत पाने की उम्मीद में उनके आन्दोलन का समर्थन किया है।

'राइट टू रिकॉल' कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि वादाखिलाफी करे या भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाये तो उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के तीन चौथाई हिस्से या कानूनी तौर पर तयशुदा प्रतिशत वोट देने वालों हस्ताक्षर करवा कर उस निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति अविश्वास प्रकट करने पर उनको पदत्याग करना पड़ेगा। गौरतलब है कि देश की बड़ी-बड़ी राजनैतिक पार्टियों से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक लगभग सभी ने 'राइट टू रिकॉल' और 'राइट टू रिजैक्ट' (कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं, यह मत प्रकट करने के अधिकार) का विरोध किया है। इस बार की बहस को देख कर यह लगता है कि मानो 'राइट टू रिकॉल' की बात पहली बार उठी हो। जबकि मामला इसके ठीक उल्टा है। हमारी पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) 1952 के प्रथम आम चुनाव के समय से ही लोगों को यह अधिकार दिये जाने की माँग करती आई है। यहाँ तक कि 1967 और 1969 में दो बार जब पश्चिम बंग में हमारी पार्टी संयुक्त मोर्चे के एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर सरकार में शामिल रही तब भी चुनाव से पहले के अपने घोषणापत्र में और जीतने के बाद जब कभी सम्भव हुआ तभी 'राइट टू रिकॉल' का अधिकार लोगों को दिये जाने की माँग लगातार करती रही। हाल-फिलहाल में 2009 के लोकसभा चुनाव और 2011 के पश्चिम बंग विधानसभा चुनाव के समय भी यह माँग हमने खूब महत्व देते हुए उठायी थी। मीडिया द्वारा आँखें बंद रखने का दिखावा किये जाने के बावजूद इन लगातार कोशिशों का असर भी जनमानस पर पड़ा है।

हम इस 'राइट टू रिकॉल' के अधिकार को इतना ज्यादा महत्व देकर लोगों के सामने क्यों लाये हैं? अनेक एमपी, एमएलए लेकर गद्दीनसीन छोटी-बड़ी संसदीय पार्टियाँ इस बात से इन्कार नहीं कर सकती कि आजकल जो वोटों में जीत कर सांसद, विधायक, पंचायत प्रधान या पार्षद बनते हैं उनका कागजों में दिखावे के लिए चाहे जितना भी बड़ा नाम क्यों न हो, मगर जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि नहीं मानती है। जनता लगभग स्वत:सिद्ध बात की तरह यह मानती है कि एक बार जीत जाते ही ये तथाकथित जन प्रतिनिधि चुनावों से पहले किये गये अपने वायदों को यकीनन भूल जायेंगे। वे जनता की पहुँच से दूर होते जायेंगे। एशो-आराम, बेइन्तहा भ्रष्टाचार, जनहित-विरोधी काले कानून एक पर एक बनाने में, कारपोरेट पूँजी के स्वार्थ में जनहित को पैरों तले रोंदने में ये सब जन प्रतिनिधि जितना ज्यादा माहिर होते जाते हैं, उतना ही ज्यादा मीडिया उनका प्रचार करता जाता है। उनकी जीत की राह आसान करने के लिए रुपयों की थैलियाँ लिये हुए पूँजीपति उनके साथ आ खड़े होते हैं। यह बात आज दिन के उजाले की तरह साफ है कि वोटों में जीतने के लिए जन समर्थन से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है धनबल, प्रचारबल और बाहुबल जिसे अंग्रजी में कहते हैं 'मनी-मीडिया-मसल पावर'।

वोट किस तरह पड़ते हैं यह हम सब कमोबेश जानते ही हैं। वोटों के बाजार में नेतागण जब मुस्कुराती मुद्रा में हाथ जोड़ कर द्वार-द्वार पर वोटों की भीख माँगते फिरते हैं, उनके मुखारबिंद से निकले लोकतंत्र के गुणगान से कृतार्थ जनता भी जान जाती है कि अखबारों के पन्नों या टीवी के पर्दे से बाहर इस चेहरे को देखने के लिए फिर पाँच साल इन्तजार करना होगा। वोट बाजार के माहौल में 'वोट मशीनरी' की बात गूँजती रहती है। यानी येन केन प्रकारेण वोट मैनेज करने का बन्दोबस्त। ढेर सारे वायदे, वोटों से पहले रातों रात गलियों में ईंटें या बिजली के खम्बे मोहल्ले-मोहल्ले में डलवा देना, नौकरी-बीपीएल-जॉब कार्डों से लेकर तमाम मामलों में नेता कल्पतरू बन जाते हैं, हर क्लब में टीवी, कैरम बोर्ड, खेलों का अन्य सामान आदि की सप्लाई करवा देना यह सब तो है ही। सरेआम पैसे देकर वोट खरीदना पूरे देश भर में लोगों ने आज आम बात ही मान ली है। गरीब लोगों की लाचारी का फायदा उठा कर उनकी इन्सानियत का घोर अपमान करते हुए मात्र एक बोतल शराब, दो एक किलो चावल और कुछ रुपये पानी की तरह बहाकर पूरे मोहल्ले के वोट मैनेज करने की महारत वोटबाज नेताओं ने बखूबी हासिल कर ली है। चुनाव प्रचार में आँखों को चौंधिया देने वाली झिलमिल रोशनी का आयोजन जो हम खुलेआम देखते हैं उसके नेपथ्य में काम कर रही होती है हजारों करोड़ रुपये के काले धन की अदृश्य शक्ति। बस्ती-बस्ती में गुण्डवाहिनी का बोलबाला रहता है। अब तो बाहुबली नेता नामक एक नया शब्द ही प्रचलित हो गया है। यानी गुण्डे-बदमाश ही अब सरेआम एम पी, एम एल ए बनते हैं। मौजूदा लोकसभा सदस्यों में खून, बलात्कार, डकैती जैसे जघन्य अपराधों के अभियुक्त या दागी सांसदों की संख्या 70 से 80 तक बतायी जाती है। लोकसभा में हो या विधानसभा में पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के लिए नोटों के बदले वोट के लिए एमपी, एमएलए की खरीद-फरोख्त आज नितांत आम बात हो गई है। व्यक्तिगत तौर पर कोई जन प्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार में लिप्त न भी हो, फिर भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर वे सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं तो आज के सर्वव्यापक भ्रष्टाचार के चक्र में उनकी गणना भी एक मददगार के रूप में ही होनी लाजमी है। एक एक जन प्रतिनिधि जीतने के बाद अकूत धन-दौलत का मालिक बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस राजनैतिक पार्टी के कोष में भी रुपये का ढेर लग जाता है। इस अकूत धन-दौलत का स्रोत क्या है? किसी नेता के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से तो इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती।

हमारी पार्टी पहले से ही दर्शाती आई है कि बुर्जुआ यानी पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था में चुनाव कौन जीतेंगे, उसकी निर्णायक शक्ति है देश की मूल कूंजी-चाबी के अधिकारी पूँजीपति वर्ग की इच्छा। पूँजीवाद के समग्र स्वार्थ में किस पार्टी को सत्ता में लाने की जरूरत है, उसी के अनुसार कारपोरेट पूँजी के मालिकानाधीन समाचार पत्र, टेलिविजन, रेडियो प्रचार की आँधी उठाते हैं। पूँजीपति वर्ग की जरूरत से प्रचार के बल पर किसी को रातोंरात नेता बना देने की क्षमता रखता है आज का शक्तिशाली मीडिया। इस वर्ग-विभजित समाज व्यवस्था में कोई राजनैतिक पार्टी किसी न किसी वर्ग की प्रतिनिधि होती है। देश के अन्दर मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र साम्यवादी पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) को छोड़ कर बाकी सभी पार्टियाँ बुर्जुआ यानी पूँजीवादी शासन व्यवस्था को बरकरार रखने और उससे फायदा उठाने का काम करती आई हैं। पूँजीपति वर्ग के स्वार्थ की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेकर ये पार्टियाँ भारत के राजनैतिक मैदान में उतरी हैं। पूँजीपतियों के गुट स्वार्थों के द्वन्द्व के दायरे में ही इनकी परस्पर-विरोधी की भूमिका है। मैदान-ए-जंग में या संसदीय फोरमों के अन्दर उनका जो जबरदस्त लड़ाकू भाव हम देखते हैं वह कुछ तो जनता को धोखा देने के लिए होता है और ज्यादातर अपने अपने आका पूँजीपति गुट की स्वार्थरक्षा करने का प्रयास होता है। यह द्वन्द्व मिलनात्मक हो जाता है जब पूँजीपति वर्ग के समग्र स्वार्थ का सवाल सामने आ खड़ा होता है। पूँजीपतियों के पैसे से ही चलती हैं ये सब वोट की धंधेबाज राजनैतिक पार्टियाँ।

आजादी के तुरन्त बाद से ही बुर्जुआ संसदीय नेता इतने कुत्सित भ्रष्टाचार के दलदल में नहीं डूबे थे। व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार, लोगों के प्रति समर्पित जिम्मेदार नेता तब तक बिल्कुल नदारद नहीं हुए थे। वामपंथी के रूप में जानी जाने वाली तत्कालीन अविभाजित सीपीआई के नेता-कार्यकर्ताओं में भी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा देख कर लोग आकृष्ट होते थे। उसी समय इस युग के महान मार्क्सवादी चिन्तनकार सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष के नेतृत्व में हमारी पार्टी को इस बुर्जुआ लोकतंत्र का चरित्र समझ पाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बुर्जुआ संसदीय व्यवस्था जब सामन्तवाद के खिलाफ संघर्ष का हथियार थी, तब जनता की आशा-आकांक्षा इसके जरिये कुछ न कुछ प्रतिफलित होती थी। वर्तमान युग में पूँजीवाद जब साम्राज्यवादी चरित्र हासिल कर चरम प्रतिक्रियावादी हो गया है, तब इस व्यवस्था में जनता के न्यूनतम अधिकार, माँगें हासिल करने के आन्दोलन में भी उसे अपनी मौत की परछाई दिखाई देने लगती है। यह पूँजीवादी राज्यसत्ता इसीलिए जिस किसी भी लोकतांत्रिक मूल्यबोध को पैरों तले रौंद देना चाहती है, जो एक दिन बुर्जुआ यानी पूँजीपतियों ने ही पैदा किया था। आजकल बुर्जुआ यानी पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती बल्कि जनहित के खिलाफ काम करती है। इस व्यवस्था के साथ एकदम निचले स्तर से लेकर सबसे ऊंचे स्तर तक जो लोग जुड़े हुए हैं वे अगर इस व्यवस्था के वर्ग चरित्र यानी पंचायत से लेकर पार्लियामेन्ट तक हर स्तर पर यह व्यवस्था बुर्जुआ यानी पूँजीपति वर्ग के स्वार्थ की ही हर कीमत पर रक्षा करती है, इस बारे में सचेत न हों, साथ ही साथ इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के परिपूरक जनवादी आन्दोलन गठित करने की चौतरफा कोशिश में सक्रिय हिस्सा न लें और उस आन्दोलन के सम्प्रसारित रूप के तौर पर पंचायतों, विधानसभाओं, लोकसभा के मंचों का इस्तेमाल करने के लिए सक्रिय न हों, तो वे चाहे कितने ही ईमानदार और योग्यता सम्पन्न आदमी क्यों न हों, वे जनहित के खिलाफ काम करने को बाध्य हैं।

कॉमरेड शिवदास घोष के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने 1952 के प्रथम आम चुनाव के समय से ही दिखाया था कि जनता को यह समझना होगा कि ईमानदार और योग्य जनप्रतिनिधि इन सब फोरमों में चाहे जितनी भी लड़ाकू भूमिका निभायें उससे सिर्फ कुछ एक माँगें ही हासिल हो सकती हैं, लेकिन लोगों की बुनियादी समस्याएं हल नहीं हो सकती। कुछ फौरी राहत मिल सकती है इससे

(शेष पृष्ठ 4 पर)

जन-प्रतिनिधि...

(पृष्ठ 3 का शेष)

ज्यादा और कुछ नहीं होगा। इस देश की जनता के लोकतांत्रिक अधिकार सिर्फ पाँच साल में एक बार वोट डालने में ही सीमित हैं। शासक वर्ग की चाहत सदा यही रही है कि जनता लोकतांत्रिक अधिकारों की माँग के लिए सक्रिय भूमिका न निभाये। चाहे जितना भी रोष-विक्षोभ जमा हो जाये, जनता नेताओं के भाषण सुन कर इन्तजार करती रहे कि कब चुनाव आयें, इसके सिवाय उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। इसके विपरीत क्रांतिकारी ताकत होने के नाते हमारी पार्टी ने सदा यही चाहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों को हासिल करने के लिए जनता सक्रिय भूमिका निभाये। जिस भूमिका के बिना, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जनविरोधी काले कानूनों के खिलाफ, जन प्रतिनिधियों द्वारा अपना किया हुआ वायदा तोड़ देने के खिलाफ किसी तरह का कोई कारगर प्रतिरोध सम्भव नहीं है। अगर 'राइट टू रिकॉल' का अधिकार हासिल करना है और जनवादी आन्दोलन के जरिये उसका इस्तेमाल करना है तो जनता के हाथों में यह एक औजार के तौर पर काम करेगा। इसी वजह से हमने 'राइट टू रिकॉल' की माँग उठायी है। आजादी के बाद से अब तक सभी सरकारें जनता की इस सक्रिय भूमिका से डरती आई हैं।

इस बारे में जब नये सिरे से यह माँग सामने आई, तब देखा गया कि कांग्रेस-नीत केन्द्र की यूपीए सरकार के कानूनमंत्री सलमान खुर्शीद, बीजेपी के प्रवक्ता मुख्तयार अब्बास नकवी, मुख्य चुनाव आयुक्त वाई ए कुरेशी से लेकर लगभग सभी दिग्गजों ने इस माँग का विरोध किया है। केन्द्रीय कानूनमंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है, 'राइट टू रिकॉल एक वृहतर लेकिन अत्यन्त दुरुह धारणा है।' बीजेपी के नेता ने कहा, 'हमारी पार्टी को इस मामले में आपत्ति है।' देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, 'यह धारणा भारत में नहीं चलेगी।. .. यह देश में अस्थिरता पैदा कर देगी, हर जगह जहाँ भी लोगों का रोष रहेगा वहीं लोग जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाना चाहेंगे।' इस देश के ही पंचायत स्तर पर पंजाब(1994), बिहार(2010), मध्य प्रदेश(2000), महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़(2004) ने 'राइट टू रिकॉल' की बात कही है लेकिन उसके इस्तेमाल की कोई व्यवस्था नहीं की है। श्री कुरेशी ने कहा है कि इसके नतीजतन जो पार्टियाँ वोटों में हार जायेंगी वे लोगों के रोष का फायदा उठायेंगी। उनकी यह बात सारहीन है। एक बात वे मान रहे हैं कि वोटों में जो जीते वे लोकप्रिय नहीं हैं। ठीक उसी तरह, वरना बहुमत का समर्थन पाकर जीतने पर भी थोड़े से दिनों में ही जनमत उनके खिलाफ कैसे चला जायेगा! 'राइट टू रिजैक्ट' के बारे में बोलते हुए श्री कुरेशी ने कहा है कि उन्हें सबसे बड़ा डर इस बात का है कि यह अधिकार देने से लोग 'सभी उम्मीदवारों को रिजैक्ट कर देंगे।' एक साँस में ही उन्होंने कहा, 'राइट टू रिजैक्ट' जैसी नेगेटिव धारणा की बजाय आप क्यों नहीं अच्छे उम्मीदवार को चुनते? वे अच्छे से जानते हैं कि वोट बटोरू संसदीय पार्टियों में ठगों को छांट देने का मतलब है गाँव का गाँव उजड़ जाना। किसी भ्रष्टाचार या जनहित-विरोधी काम में लिप्त न हो ऐसा आदमी वे कहाँ से पायेंगे? क्योंकि वे इस गैर-बराबरी वाली व्यवस्था की रक्षा करना चाहते हैं। जनता का सच्चा उम्मीदवार सिर्फ वहीं मिल सकता है जहाँ इस शोषणमूलक व्यवस्था के खिलाफ दीर्घस्थाई जन आन्दोलन के जरिये लोगों के सामने उभर आया ऐसा कोई उम्मीदवार हो। जैसे हमारी पार्टी के विधायक, सांसद जीते हैं। इसीलिए हमारी पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का जनहित की रक्षा करने का एक हमदर्दी भरा मन है। उनके लिए उनके क्षेत्र के लोगों को असंख्य शहीदों की कुर्बानी, माताओं के आँसू, बहुत सारे नेताओं को झूठे मामलों में हुई कारावास की सजा जैसी कीमत चुकानी पड़ी है। स्वाभाविक है कि ऐसे जन प्रतिनिधियों की तादाद मुट्ठीभर ही होगी। कारपोरेट जगत के आशिर्वाद से धन्य मीडिया भी इनका प्रचार नहीं करेगा। इसलिए जनता ऐसे उम्मीदवार कहाँ से पायेगी?

इंग्लैण्ड, अमेरिका, कनाडा, स्वीट्जरलैण्ड जैसे पूँजीवादी देशों ने शुरू से अपनी चुनाव व्यवस्था में 'राइट टू रिकॉल' की धारणा जोड़ ली थी। उस समय बुर्जुआ लोकतंत्र के विकास का युग था। लेकिन प्रतिक्रियावादी हो जाने के बाद आज इन सब देशों में यह अधिकार महज कागज के टुकड़े में तब्दील होकर रह गया है। संविधान में लिखा हुआ है लेकिन असल में उसकी कोई कीमत नहीं है। समाजवादी सोवियत यूनियन ने, यूरोप और एशिया भर में फैले हुए विशाल भूखण्ड पर नया समाज कायम करने का संघर्ष शुरू किया था, उस समाजवादी देश ने लोगों को व्यापक मायने में 'राइट टू रिकॉल' का अधिकार दिया था। हर स्तर पर सोवियतों के सभी प्रतिनिधियों के चुनाव क्षेत्रों में लोगों ने बेरोकटोक इस अधिकार का इस्तेमाल किया। सोवियत क्रांति के तुरन्त बाद ही इस विषय में लेनिन द्वारा जारी डिक्री में कहा गया था, 'जब तक 'राइट टू रिकॉल' इस्तेमाल करने का अधिकार निर्वाचकमण्डली के पास न हो और उसे वे इस्तेमाल न कर सकें तब तक किसी भी निर्वाचित संस्था या प्रतिनिधिसभा की गिनती सही मायने में लोकतांत्रिक और जनता की असली प्रतिनिधि के तौर पर नहीं हो सकती। सही मायने में लोकतंत्र का यह बुनियादी सिद्धान्त बिना किसी अपवाद के संविधानसभा सहित समस्त निर्वाचन प्रतिष्ठानों के क्षेत्र में लागू होगा।' (रचित : 19 नवम्बर, 1917, लेनिन इंटरनेट आर्किव)। समाजवादी राज्यव्यवस्था के सामयिक पतन के चलते पुराने सोवियत संघ से टूट कर जितने भी बुर्जुआ राष्ट्र हैं उनमें से किसी ने भी इस अधिकार को बरकरार नहीं रखा है। दूसरी तरफ साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई के जरिये जो आगे बढ़ता जा रहा है उस वेनेजुएला ने यह अधिकार चालू किया हैं।

हमारे देश में 'राइट टू रिकॉल' की माँग का कांग्रेस, बीजेपी जैसी केन्द्र-राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियाँ समर्थन क्यों नहीं कर पा रही है?

हाल ही में हुए भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन से यह बात उन्होंने साफ भांप ली है कि देश के बच्चे से लेकर बुढ़े तक सभी जनसाधारण इन सत्ता-सुख भोग रहे नेताओं से बेहद ऊब चुके हैं। मंत्री, सांसद-विधायकों में ज्यादातर करोड़पति हैं, जनता के दु:ख-दर्द से उनका जरा भी सरोकार नहीं है। लोगों से पूरी तरह से कटे हुए ये लोकतंत्र के झण्डाबरदार राज्यसत्ता की प्रशासनिक शक्ति के सहारे खड़े हैं। इन सब सरकारी पार्टियों के नेता बखूबी जानते हैं कि जनसाधारण के हाथों में अगर इतनी क्षमता रहे तो वे उन्हें हटा देंगे। इसलिए 'राइट टू रिकॉल' का समर्थन करना इनके द्वारा सम्भव नहीं है। दूसरी तरफ वे यह बात भी भांप रहे हैं कि लोगों का रोष, घोर नफरत फट पड़ने को है। कोई कुछ भी क्यों न कहे जनमत के इस प्रबल दबाव की पूरी तरह उपेक्षा करना भी इनके लिए सम्भव नहीं है। इसलिए 'राइट टू रिकॉल' का समर्थन करने और न करने के सवाल को दरकिनार कर इस अधिकार को लागू किया जाये तो क्या क्या प्रशासनिक और पद्धतिगत समस्याएं हो सकती हैं वह सब बातें कह कर इससे कन्नी काटी जा रही है। इन सब नेताओं से सवाल करना चाहिए कि आप साफ-साफ यह बताइये कि 'राइट टू रिकॉल' का समर्थन करते हो कि नहीं? हालाँकि हम जानते हैं कि इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। जन आन्दोलन के दबाव से इन्हें मजबूर नहीं कर पाने से जनमत को कोई मूल्य ये नहीं देंगे, मौका पाते ही जनमत को पैरों तले रौंद देने में इन्हें कोई संकोच नहीं होगा। एक और विषय आम लोगों को समझना होगा। वह यह है कि 'राइट टू रिकॉल' की माँग अगर हासिल भी हो जाये लेकिन संगठित दीर्घस्थायी सतत जनआन्दोलन का दबाव अगर नहीं रहा तो यह अधिकार बाकी अधिकारों की तरह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जायेगा। सचेत, संगठित और सतत जनआन्दोलन ही लोगों के अधिकारों की गारन्टी है। उस आन्दोलन को गठित करने की तैयारी इसलिए आज सबसे जरूरी काम है।

जनजीवन की ज्वलन्त समस्याओं के खिलाफ विशाल प्रदर्शन

भोपाल : 17 नवम्बर को एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के बैनर तले मध्य प्रदेश विधान सभा पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के उद्देश्य से राज्य के लगभग 17 जिलों से आये सैकड़ों लोग राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में एकत्रित हुए। वहाँ से जुलूस निकला जो नीलम पार्क में पहुँचने पर जनसभा में तब्दील हो गया।

सभा को मुख्य रूप से एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी के दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल, पार्टी के जयनगर क्षेत्र (प.ब.) से सांसद डॉ. तरुण मण्डल ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता पार्टी की म.प्र. राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉमरेड उमा प्रसाद ने की। इनके अलावा सभा को पार्टी के भोपाल जिला सचिव कॉमरेड जे.सी. बरई, सागर जिला सचिव कॉमरेड रामअवतार शर्मा, ग्वालियर जिला सचिव कॉरेड सुनील गोपाल, गुना जिला सचिव कॉमरेड प्रदीप आर.बी. ने भी सम्बोधित किया। सभा का मंच संचालन पार्टी की गुना जिला कमेटी के सदस्य कॉमरेड लोकेश शर्मा ने किया।

सभा में 17 सूत्रीय मांगों पर वक्ताओं ने विस्तार से बात रखी। अन्त में मुख्यमंत्री के नाम इन मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि आसमानछूती महंगाई पर रोक लगाई जाये, जमाखोरी-कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये, सभी खाद्यान्नों व आवश्यक वस्तुओं का थोक व खुदरा व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में लाया जाये, राज्य में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व मिट्टी के तेल से भारी करों का बोझ हटाया जाये, बिजली कटौती, बिलों में गड़बड़ी व आंकलित खपत के नाम पर धांधली बंद की जाये, बिजली-पानी-शिक्षा-ईलाज के निजीकरण-व्यापारीकरण पर रोक लगाई जाये, जल नीति 2002 और बिजली एक्ट 2003 को रद्द किया जाये, म.प्र. में प्राईवेट यूनिवर्सिटी बिल रद्द किया जाये, समेस्टर प्रणाली बंद की जाये, हर स्तर पर हो रही फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाये, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, खाद व कीटनाशक सस्ते दामों पर दिये जायें, गरीब व मध्यम दर्जे के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली-पानी सरकार मुहैया कराये, फसलों को बिचौलियों से अनिवार्य तौर पर बचाकर लाभकारी समर्थन मूल्य पर सरकार किसानों से सीधे खरीदे व राज्य में हो रही किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये, सभी को रोजगार दे, तब तक जीने लायक बेरोजगारी भत्ता दे, छंटनी, तालाबंदी, लेऑफ पर रोक लगाये, सभी निकाले हुए श्रमिकों को काम पर वापस लिया जाये और सरकारी कार्यालयों में रिक्त पड़े सभी पदों पर स्थाई भर्ती की जाये। इसके अलावा यह भी मांग की गई कि वर्तमान में कार्यरत सभी ठेका श्रमिकों को स्थाई किया जाये और ठेकेदारी प्रथा व संविदा प्रथा की बजाय स्थाई भर्ती की जाये। प्रेरक, आशा, ऊषा व आंगनवाड़ी वर्करों व हैल्परों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाये। राज्य भर में गाँवों से लेकर शहरों तक खस्ताहाल सभी सड़कों व राजमार्गों की तुरंत मरम्मत करने और सरकारी राज्य परिवहन पुन: चालू करने की भी मांग की गई।

प्रस्तावित शिक्षा-विरोधी काले बिलों के खिलाफ देश भर में छात्र प्रदर्शन

नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किये जाने वाले शिक्षा-विरोधी काले कानूनों के खिलाफ ए.आई.डी.एस.ओ. की अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर 22 नवंबर को देशभर में 'अखिल भारतीय विरोध दिवस' मनाया गया। इस कड़ी में ए.आई.डी.एस.ओ. की दिल्ली राज्य कमेटी के तत्वावधान में संसद मार्ग पर एक विरोध धरना दिया गया तथा इन बिलों की डमी फूंक कर अपने रोष का इजहार किया। संगठन द्वारा एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा गया जिसमें मांग की गई कि सरकार शिक्षा के निजीकरण व्यापारीकरण की नीतियों को वापस ले। धरना स्थल पर हुई सभा को संगठन के राज्य अध्यक्ष कॉ. भास्करानन्द, राज्य सचिव कॉ. प्रशान्त, राज्य उपाध्यक्ष कॉ. दीपक रंजन, कोषाध्यक्ष कॉ. आसिफ एवं सचिव मण्डल सदस्य कॉ. कृष्णेन्दु मुखर्जी आदि ने संबोधित किया। सभा का संचालन राज्य कमेटी के कार्यालय सचिव कॉ. राहुल सरकार ने किया। वक्ताओं ने उपस्थित छात्रों को सरकार के इन कदमों के खिलाफ डटकर खड़े होने का आह्वान किया जिससे सरकार को इन शिक्षा-विरोधी नीतियों को वापस लेने पर मजबूर किया जा सके जिनके कारण देशभर के शिक्षण संस्थानों में फीस आसमान छूती जा रही है, गरीब व मध्यमवर्गीय छात्र शिक्षा के क्षेत्र से दूर होते जा रहे हैं और शिक्षा के सारतत्व को खत्म किया जा रहा है।

गुना (म.प्र.): 22 नवम्बर को छात्र संगठन डी.एस.ओ. ने अखिल भारतीय विरोध दिवस के रूप में मनाया जिसके तहत स्थानीय हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन का आयोजन किय गया। यह विरोध दिवस सरकार द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में शिक्षा के क्षेत्र में लाए जा रहे तीन बिल एनसीएचआर, विदेशी शिक्षा प्रदाता बिल व ट्रिब्यूनल बिल के विरोध में मनाया गया। प्रदर्शन में डीएसओ के जिला अध्यक्ष कॉ. सचिन जैन ने बताया कि ये तीनों बिल पूर्णत: गैर लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षा के जनवादीकरण को खत्म करने व उसे बाजार में निवेश कर मुनाफा बटोरने के लिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों को पूर्णत: लागू करते हुए ये बिल लाए जा रहे हैं। अब सरकार विदेशी कम्पनियों को भी भारत में शिक्षा में पूँजी निवेश करने को वैध बना रही है। साथ ही तमाम अन्य संस्थाएं जैसे यूजीसी, एमसीआई, बीसीआई, एआईसीटीई को खत्म कर स्वतंत्र रेगूलेटरी अथोरिटी एनसीएचईआर बनाई जा रही है जिसमें देश के पूँजीपतियों के नुमाइन्दे बैठेंगे और शिक्षा को मुनाफा कमाने का आधार बनाकर नियम बनाएंगे। ऐसी तमाम नीतियों का विरोध करते हुए उन्होंने शिक्षा को आम जनता के हित में बचाने के लिए जोरदार आन्दोलन पूरे देश में तैयार करने की जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं अजीत पंवार, बबीता समर ने भी बात रखी। प्रदर्शन का संचालन डीएसओ के जिला उपाध्यक्ष योगेश धाकड़ ने किया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन स्थानीय कलेक्टर महोदय को दिया गया।

दुर्ग (म.प्र.): 23 नवम्बर 2011, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइज़ेशन ने रैली निकाल कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सहायक कलैक्टर रानू साहू को सौंपा जिसमें शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण को रद्द करने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व यशपाल कमेटी की सिफारिशों को रद्द करने, प्राइवेट विश्वविद्यालय, एजूकेशनल ट्रिब्यूनल बिल, विदेशी विश्वविद्यालय बिल को तत्काल रद्द करने, 5वीं व 8वीं बोर्ड की परीक्षा प्रणाली फिर से लागू करने की मांग की गई है।

संगठन की दुर्ग इकाई के कार्यकताओं द्वारा साइन्स कॉलेज से रैली निकाली गई जो जी.ई. रोड होते हुए कलैक्ट्रेट पहुँची। रैली का नेतृत्व महेन्द्र कुमार साहू व घनश्याम पटेल ने किया। रैली में साइन्स कॉलेज, सुराना कॉलेज, कल्याण कॉलेज, भगतसिंह स्कूल, नवीन स्कूल, नेशनल स्कूल, आदर्श गर्ल्स स्कूल आदि स्कूलों के छात्र-छात्राएं शामिल थीं।

कांटी के निर्दोष लोगों पर पुलिस बर्बरता के खिलाफ संयुक्त जनकमेटी की पदयात्रा

मुजफ्फरपुर: 29 नवम्बर 2011, 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे अनशनकारियों की गिरफ्तारी एवं पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों पर बर्बर पुलिस जुल्म के खिलाफ संयुक्त जनकमेटी कांटी की ओर से रोष प्रकट किया और दो दिन की पदयात्रा की गई।

ज्ञात हो कि कांटी में थर्मल पॉवर के निर्माण काल से ही उसके 10 किमी की परिधि में 24 घण्टे निर्बाध बिजली देने की मांग को लेकर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) एवं एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध यूनियन के नेतृत्व में आन्दोलन शुरू हुआ। बाद में सरकार एवं कारखाना प्रबन्धन ने 5 किमी के दायरे में 24 घण्टे निर्बाध बिजली देने की बात मान ली परन्तु उस फैसले को कभी लागू नहीं किया। बीच में कुछ वर्षों के लिए कारखाना बन्द हो गया। पुन: जब कारखाना चालू हुआ तो यह मांग उठती रही। इस मांग को लेकर कुछ लोग 2 अक्टूबर से कारखाने के सामने ही भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। प्रशासन ने उनसे वार्ता कर समाधान की बजाय 6 अक्टूबर को आठ अनशनकारियों को प्रबन्धन द्वारा किए गए एक झूठे मुकदमें में गिरफ्तार कर लिया और वहाँ लगे अनशन मंच को जेसीबी से तोड़ दिया। कारखाना गेट के समक्ष लोग इकट्ठा होकर लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। भीड़ से कुछ लोगों ने थाने की गाड़ी तथा दमकल को आग के हवाले कर दिया। यह घटना 10-11 बजे दिन में घटी। उसके चार घण्टे बाद जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस आई और निर्दोष लोगों

पर कहर बनकर टूट पड़ी। राहगीरों, मरीजों का ईलाज कराने आए परिजनों, दुकानों में बैठे लोगों, दुकानों पर चाय पीते लोगों, दुकानदारों एवं खरीदारों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, घटनास्थल से डेढ़-दो किलामीटर दूर तक खदेड़ते हुए गाँव में घुसकर ग्रामीणों को पीटा। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। 40 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया एवं प्रशासन द्वारा 32 अन्य को नाम-पते सहित पहचानने का दावा किया गया। प्रशासन द्वारा चन्द घण्टों में इतने लोगों को नाम, पिता का नाम एवं गाँव के पते सहित पहचान लेना एक आश्चर्यजनक बात है।

इस अलोकतांत्रिक, अमानवीय एवं बर्बर पुलिसिया जुल्म के खिलाफ एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) ने एक जनकमेटी गठित कर जनआन्दोलन करने का प्रयास किया। कांटी के पूर्व जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक एवं विभिन्न दलों के राजनैतिक कार्यकर्ताओं को लेकर 20 अक्टूबर को संयुक्त जनकमेटी गठित की गई। इसके संयोजक एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के राज्य कमेटी के वरिष्ठ सदस्य अरुण कुमार सिंह चुने गये। अगुवाई पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद प्रो. रघुवंश प्रसाद सिंह, पूर्व मंत्री प्रो. नलिनी रंजन सिंह, पूर्व मंत्री गणेश प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री रामपरीक्षण साहू, पूर्व मंत्री रामविचार राय, विधायक बृजकिशोर सिंह, पूर्व विधायक बालेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक मिथिलेश प्रसाद यादव, पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान, पूर्व विधायक विजेन्द्र चौधरी आदि ने की। परन्तु मुख्यमंत्री नीतिश कुमार को पदयात्रा के प्रतिनिधि मण्डल से मिलना मुनासिब नहीं लगा और प्रतिनिधि मण्डल की वार्ता कमिश्नर से हुई। वार्ता में मांगें रखी गई कि 6 एवं 7 अक्टूबर की सम्पूर्ण घटना की उच्च स्तरीय निष्पक्ष खुली जांच अविलम्ब कराई जाए, तब तक गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। गिरफ्तार लोगों पर से भी मुकदमा उठा लिया जाए। इस काण्ड के गिरफ्तार लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जेल के अन्दर अनशन किया था। प्रशासन ने उन अनशनकारियों से वार्ता कर अनशन तुड़वाया था। थर्मल के 10 किमी परिधि में अनवरत विद्युत आपूर्ति करने की जन-आकांक्षा का औचित्य मानते हुए इसे अविलम्ब मान लिया जाए। यह भी मांग की गई कि थर्मल में कार्यरत मजदूरों पर थर्मल पदाधिकारियों के अत्याचार एवं मनमानी तथा नाजायज कार्रवाइयों की जांच कराई जाए और उनपर अंकुश लगाया जाए।

गरीबी के मानदण्ड को लेकर सरकार का लोगों के साथ क्रूर मजाक

शहर में रहने वाला एक आदमी अपने जीवन यापन की जरूरी चीजें जुटाने के लिए अगर महीने में 578 रुपये से ज्यादा खर्च कर सकता है तो सरकार के नए मानदण्ड के अनुसार फिर वह गरीब नहीं है। दैनिक के हिसाब से खर्च लगभग 20 रुपये होने से वह गरीबी रेखा से नीचे की सूची में नहीं आएगा। उसके लिए सरकारी सहायता जैसे सब्सिडी पर सस्ता गेहूँ, चावल पाने सहित विभिन्न क्षेत्रों में सभी सुविधाएं, सहूलियतें जो बीपीएल के तहत मिलती हैं वे भी नहीं मिलेंगी। इस खर्च में ही शामिल हैं सिर छिपाने की जगह का किराया और खाने की बाबत 31 रुपये। पढ़ाई-लिखाई के लिए 18 रुपये। इलाज और दवाइयों की बाबत 25 रुपये, बाजार-हाट में खरीदारी के 36 रुपये 50 पैसे। यह है मासिक खर्च का हिसाब-किताब। इस तरह, भारत में गाँव का कोई बाशिंदा अगर रोजाना 15 रुपये से ज्यादा खर्च कर सकता है तो फिर वह गरीब नहीं है। इस तरह मानने से गाँव में सिर्फ 41.8 प्रतिशत लोग ही गरीबों की सूची में आते हैं। 25. 7 प्रतिशत शहरी बाशिन्दों को गरीबों की गिनती में शुमार किया जाएगा। कहा गया है कि सरकारी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी फायदे सिर्फ उन्हें ही दिये जाएंगे। सरकार को भेजा गया योजना आयोग का यही है पहला प्रस्ताव।

हाल ही में इस हिसाब-किताब में एक हेरफेर करके कहा गया है कि प्रति व्यक्ति आय शहर वालों की 32 रुपये और गाँव वालों की 26 रुपये की सीमा पार कर जाने से वह फिर गरीब नहीं है। यह है सुप्रीम कोर्ट को दिये गये देश के योजना आयोग का सुविचारित प्रस्ताव। यह अवास्तविक, असम्भव, निर्मम वंचना का निर्लज्ज प्रस्ताव देश के विकास की परिकल्पना का भार जिनके ऊपर सौंपा हुआ है उनका है। इसे किसी पागल का प्रलाप कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। देश की जीडीपी को जिस तरह बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, उसी तरह ठण्डे दिमाग से सोचे-समझे ढंग से, कानूनी तौर पर, संसदीय लोकतंत्र का परचम फहराते हुए करोड़ों-करोड़ गरीबों का हत्याकाण्ड चलाया जाएगा। आंकड़ों की बाजीगरी, फिलहाल की इस कसरत से दुनिया देखेगी कि भारत में गरीब घट रहे हैं। हालाँकि यह एक विडम्बना ही है कि इतनी तिकड़म के बावजूद गाँवों में आधे के आसपास और शहरों के एक चौथाई लोग निहायत गरीब हैं। इस आँकड़े को छिपाया नहीं जा सका है। गर्वनमेन्ट ऑफ दि पिपल, फॉर दि पिपल, बाई दि पिपल का ऐतिहासिक नाटक चल रहा है।

नाटक का यह सिलसिला अंग्रेजों का राज खत्म होने के बाद से ही शुरू हो गया था। आजादी के जरिए उन दिनों भारत की राजसत्ता देशी पूँजीपति वर्ग के हाथों में आयी। योजना आयोग द्वारा उद्योग, कृषि, समस्त अर्थव्यवस्था को सुनियोजित, परिकल्पना में ढाल कर सजाया गया। सुनहरे सपनों का एक भारत बनाने की मोहमय झूठी गारण्टी और ठगी का इतिहास कांग्रेस के तत्वावधान में रचा गया। हाँ! नारों का रंगढंग बीच-बीच में बदलता रहा। लेकिन मकसद नहीं बदला। आज भी वह बदस्तूर जारी है। वर्ग विभाजित समाज में सत्ताधारी पूँजीपति वर्ग के शोषण-शासन को पुख्ता करने के लिए करोड़ों करोड़ जतना का खून चूस कर तेजी से, यथा सम्भव बिना किसी उपद्रव के, एक पूँजीवादी राज्य मशीनरी को शक्तिशाली बनाना जिसका मकसद है। शोषित जनता को बेवकूफ बना कर रोजाना नये-नये हथकण्डों से जनविक्षोभ के रास्ते से वापस हटाना ही नहीं बल्कि शासक वर्ग की साजिश में जनता को शामिल करना ही उनकी अतिआवश्यक जरूरत और लक्ष्य है।

इस मकसद को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक, समाजवाद, 'समाजवादी ढाँचे का लोकतंत्र' आदि नारे देश आजाद होने के बाद से कांग्रेस देती आई है। 1964 में 6 जनवरी को अंग्रेजी के अखबार स्टेट्समैन नें लिखा था: सभी कांग्रेसी समाजवाद के नाम की शपथ लेते हैं, हालाँकि समाजवाद की समझ हरेक की अपनी-अपनी है।'' 1955 में कांग्रेस ने कहा था, 'समाजवादी ढाँचे की समाज व्यवस्था।' 1957 में वह बदल कर हो गई 'सोशलिस्ट कॉ-ऑपरेटिव कॉमनवैल्थ', उसके बाद बदल कर हो गई 'संसदीय लोकतंत्र पर कायम समाजवादी राष्ट्र', यह 'समाजवाद' पूँजीपतियों का बहुत ज्यादा पसंदीदा था। क्योंकि पण्डित नेहरू के समाजवाद में समाजवाद नहीं था। उसमें निरा धोखा था। उन्होंने कहा था, 'आधुनिक समस्याओं का मुकाबला करने के क्षेत्र में मार्क्सवाद पुराना हो गया है और यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है'। ब्रिटिश लेबर पार्टी को भी नेहरू द्वारा सर्जित इस तरह के समाजवाद की धारणा बड़ी पसंद थी। प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की कांग्रेस द्वारा किये गये बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी समाजवाद की ओर एक प्रगतिशील कदम बताकर जोरदार तालियाँ मिली थी। सीपीएम-सीपीआई जैसी पार्टियाँ इस कदम से अभिभूत हो गई थी। उद्योग-बैंक-बीमा के क्षेत्र में अलग-अलग समय राष्ट्रीयकरण हुआ है। उसने समाजवाद की नींव नहीं रखी । बल्कि भारतीय पूँजीपतियों को ही शक्तिशाली बनाया। जिसके अंजाम की बात उसी समय महान मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष ने कही थी।

60 के दशक में कांग्रेस के भुवनेश्वर सम्मेलन में तत्कालीन सर्वभारतीय नेता कृष्ण मेनन ने लेकिन सच्ची बात कही थी, ''हमारा समाज एक पूँजीवादी समाज है। यह बात सच है कि पिछले कुछ सालों में हमने कुछ धक्का तो दिया है लेकिन इसके बावजूद हमारी समाज व्यवस्था का आधार अभी भी पूँजीवादी ही है।'' कांग्रेस के भुवनेश्वर सम्मेलन के प्रस्ताव में घोषणा की गई थी: एक आधुनिक उत्पादन के कायद-कानून बड़ी जल्दी से जितना सम्भव हो कम से कम समय में तैयार करने होंगे ताकि भारी मात्रा में उत्पादन में सक्षम एक आधुनिक आर्थिक और कारगर ढाँचे से सम्पन्न देश के रूप में भारत रूपान्तरित हो सके।'' ''राष्ट्र बड़ी-बड़ी योजनाएं अपनाएगा, बिजली, परिवहन आदि परिसेवाओं के क्षेत्र को निर्मित करेगा। समस्त सम्पदा पर नियंत्रण कायम करेगा। सामाजिक उद्देश्य से भी विभिन्न झौंको पर भी काबू पायेगा और ''मूल केन्द्र में नियन्त्रण बहाल रखने के द्वारा अराजकता मूलक औद्योगिक विकास के अनिष्टकर अंजाम की रोकथाम करेगा।'' कहा गया था कि इसी तरह 'समाजवादी ढांचे' की समाज व्यवस्था या लोकतांत्रिक समाजवाद निर्मित होगा।

महान एंगेल्स का युगान्तकारी विश्लेषण था कि पूँजीवादी देश में राष्ट्रीयकरण समाजवाद निर्मित नहीं करता है बल्कि राष्ट्रीय पूँजीवाद निर्मित करता है। भारत उसका ज्वलंत प्रमाण है। भारतीय पूँजीवाद को शक्तिशाली करने के लिए इसी लक्ष्य से भारी और बुनियादी औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय योजना में लाए गए थे जिन पर पब्लिक सेक्टर का ठप्पा लगा हुआ है। व्यक्ति पूँजीपतियों में इन्हें निर्मित करने का कोई उत्साह नहीं था। क्योंकि इनमें पूंजी ज्यादा लगती है, उपभोक्ता सामानों की तुलना में मुनाफा तो इन क्षेत्रों में कम है ही, मुनाफा मिलने में काफी समय भी लगता है। असल में जनता के पैसें से पूँजीपतियों के स्वार्थ में इन क्षेत्रों को निर्मित करने की जिम्मेदरी राज्य ने ले ली थी। इसके नतीजतन समाजवाद के नाम पर बड़ी तेजी से व्यक्ति एकाधिकारी पूंजी और राष्ट्रीय एकाधिकारी पूंजी का गठजोड़ हुआ। असल में, तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में 'समाजवाद' शब्द का जाप किए बिना जनहित की, जनकल्याण की कोई घेषणा का औचित्य पैदा नहीं होता था। क्योकि कला, साहित्य, अर्थव्यवस्था, विज्ञान में–हर क्षेत्र में समाजवाद था शेषित जनता की आस्था, विश्वास, भरोसे का मंत्र। शान्ति और समृद्धि का वास्तविक प्रतीक बन कर उभरा था समाजवादी सोवियत रूस।

आजाद भारत में फैडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (फिक्की) की तत्कालीन रिपोर्ट ने दिखाया है कि संगठित उद्योग का 95 प्रतिशत उत्पादन प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है (1960-61)। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 1950-51 में 5.8 प्रतिशत था जो 1960-61 में बढ़कर 10.5 बढ़कर प्रतिशत हो गया। इसलिए इस रिपोर्ट से भी: 'लोकतांत्रिक समाजवाद' का चेहरा साफ समझा जा सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व में तब आर्थिक क्षेत्र में एकाधिकारी निजी पूँजी का नियंत्रण कितना पुख्ता हुआ-यह समझा जा सकता है राजसत्ता किसके स्वार्थ में काम कर रही है यह भी साफ समझा जा सकता है। इस में समाजवाद कहाँ है? कृष्ण मेनन ने अपने वक्तव्य में पेश कर दिखाया था कि किस तरह भरतीय अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी पूँजी का नियंत्रण कायम हो गया है: ''Monopoly in India works either through control of shares or through managing agents or control of credits and interlocking of directatorship. For instance 1502 directors of 331 companies hold 7366 other directatorship. Fifty three percent of those directorship are held by the 10 top companies.''

कृष्ण मेनन ने सवाल उठाया था कि मुट्ठीभर कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक सत्ता कैसे केन्द्रीभूत हो गई? रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की समीक्षा ने भी सवाल उठाया कि कांग्रेस की पहले दशक की योजनाओं में 'खतरनाक ढंग से आर्थिक सत्ता मुट्ठीभर लोगों के हाथों में केन्द्रीभूत हो गई है। कांग्रेस के नेतागण जो भाषणों में कहते हैं कि आर्थिक विकास के नतीजतन अमीर-गरीब की आमदनी में गैर बराबरी नहीं बढ़ेगी-यह कितना बड़ा छल-कपट है, इस रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है। छल-कपट की चरम अभिव्यक्ति तब हुई जब भुवनेश्वर सम्मेलन के प्रस्ताव में कहा गया कि ''ज्यादा सुविधाएं प्रदान कर गैर बराबरी और शोषण खत्म करना होगा।''

आज उसी सुन्दर(!) अत्यंत विचित्र लोकतांत्रिक समाजवाद के सपनों का भारत किस हालत में पहुँच गया है, जिसमें देश के बहुसंख्यक लोगों का रोजाना 20 रुपए खर्च करने का सामर्थ्य नहीं है। केन्द्रीय सरकार के आँकड़े कह रहे हैं कि शहर में हर 8 बच्चों में से एक बच्चा ऐसी बस्ती में रहता है जहाँ रहने लायक माहौल नहीं है। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के हिसाब के मुताबिक 5 साल में 10 लाख परिवार रोजगार गवां देंगे। देश के लोगों की गरीबी दूर करने(!) की भविष्यवाणी के उसी वर्ष '90-91' को देश के बहुसंख्यक 'गरीब' लोग खून के आँसू रोते हुए पार कर पाए थे, गाँवों का आदमी 26 रुपए, शहरों में रहने वाला आदमी 32 रुपए खर्च करने पर फिर सरकारी विवेकहीनता के मानदण्ड से शायद गरीब नहीं रहेगा। पूँजीपति वर्ग के अन्यतम प्रधान भरोसेमन्द पार्टी कांग्रेस का नेतृत्व योजना आयोग के लोकतांत्रिक समाजवाद की इस परम्परा को आज भी जारी रखे हुए हैं। इस छल-कपट की बुनियाद पर कायम राजनैतिक पार्टियाँ और देश के कर्ताधर्ता व अफसरशाह आज स्वेच्छाचारी, धोखेबाज और भ्रष्ट हैं। अब लगभग सभी समाजवादी देशों में प्रतिक्रान्ति हो जाने के बाद शासक वर्ग और उसकी ताबेदार पार्टियों को समाजवाद के नारे की आड़ नहीं लेनी पड़ती है। 'हर मर्ज की दवा' संसदीय लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है।

मार्क्स से लेकर लेनिन तक ने बहुत अर्सा पहले ही अपने विश्लेषणों में बुर्जुआ लोकतंत्र की शोषण की प्रकृति को उजागर करके दिखाया था कि बुर्जुआ संसदीय व्यवस्था में कुछ सालों के अन्तराल पर वोट पड़ते हैं यह तय करने के लिए कि शोषक वर्ग के कौने से प्रतिनिधि संसद के जरिए लोगों की चाहतों का दमन और ध्वंस करेंगे। इस सच को नकार कर आम तौर पर 'लोकतंत्र' की रक्षा के लिए चीखना-चिल्लाना है असल में शोषक के नाते बुर्जुआ यानी पूँजीवादी पार्टियों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना। इस चेतना से लैस होकर सही क्रान्तिकारी पार्टी के नेतृत्व में पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति के परिपूरक जनआन्दोलन खड़ा करना ही है शोषित-पीड़ित बहुसंख्यकों के लोकतंत्र और शोषणहीन समाज का लोकतंत्र कायम करने का जरूरी फर्ज, अन्यथा जनअसंतोष-विक्षोभ को इस्तेमाल कर बीच-बीच में सरकार बदलेगी, नेता बदलेंगे, लेकिन शोषण की नीति नहीं बदलेगी और बदली भी नहीं। नहीं बदलती इसीलिए देश के गरीब बढ़ते हैं और इस गरीबी को दूर करने की बजाय सरकार गरीबी के मानदण्ड को लेकर बेशर्मी से क्रूर मजाक करती आई है।

मिस्र में मिलिटरी के खिलाफ फिर फूटा जनविक्षोभ

मिस्र में फिर से उथल-पुथल मच गई है। आन्दोलन के केन्द्र तहरीर चौक पर फिर से जनता का कब्जा है। सैनिक शासन के खात्मे की मांग को लेकर वे वहां तम्बू गाड़े बैठे हैं। नौ महीने होने को आये हैं। तानाशाह होस्नी मुबारक के खिलाफ उल्लेखनीय आन्दोलन के जरिये शासक को बदल देने पर भी अमेरिकी मदद से सत्ता सेना के हाथों में चली गई है। जनता सैनिक शासन के खिलाफ है। सेना द्वारा नियंत्रित अन्तरिम सरकार के शासन के खिलाफ वे गुस्साये हुए हैं। 19 नवम्बर को तहरीर चौक पर विक्षोभ प्रदर्शनकारियों पर सेना ने गोलियां चलाई जिसमें दसियों लोग मारे गये और 800 घायल हुए।

मुबारक के सत्ता से हटने के बाद सेना की सुप्रीम काउन्सिल ने सत्ता में आते ही विक्षोभ प्रदर्शनों, आन्दोलनों व हड़तालों पर रोक लगा दी है और देश में एमरजैन्सी लगा दी है। 12 हजार से ज्यादा लोगों को जेल की काली कोठरियों में डाल रखा है। सेना चुनाव कराने या लोकतंत्र बहाल करने की गारन्टी किसी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। उस दिन जनता ने नया संविधान बनाने की माँग की थी। क्योंकि मौजूदा संविधान का प्रारूप मिलिटरी शासकों की छत्रछाया में तैयार हुआ है। इसमें कहा गया है कि संसद तो रहेगी लेकिन मिलिटरी की ही चलेगी। सेना के कामकाज पर सरकार का किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। राजनैतिक क्षेत्र में बड़े किस्म के मदभेद दिखाई देने पर उनकी मिमांसा मिलिटरी शासक ही करेंगे। यानी मिलिटरी की संवैधानिक वैधता है। इसके खिलाफ जन रोष फैलता जा रहा है। उनकी याद में यह बात तरोताजा है कि 1952 के तख्ता पलट से सत्ता पर मिलिटरी के काबिज हो जाने के बाद आये चारों राष्ट्रपति मिलिटरी के ही बने हैं। विभिन्न प्रदेशों व क्षेत्रों के सभी महत्वपूर्ण पदों पर मिलिटरी के जनरल ही जमे बैठे रहे। उससे क्षुब्ध जनता ने नफरत से इस संविधान के प्रारूप को ठुकरा दिया है। सुधारवादी नेता अलबरदाई ने कहा है कि लोकतंत्र को मिलिटरी 'विकृत' कर रही है, इसलिए उन्होंने इस प्रस्तावित संविधान को खारिज कर देने की माँग बुलंद की है। किसी-किसी का यह भी कहना है कि राज्यसत्ता के अन्दर ही एक अलग तरह का मिलिटरी राज्य बन जाएगा। वे भूल कर रहे हैं। पूँजीवादी व्यवस्था में राज्यसत्ता का काम ही है शोषण करने के मालिक पूँजीपतियों के अधिकार की हर पहलू से रक्षा करना। राज्यसत्ता को चाहे इन शासकों की लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार चलाये या मिलिटरी चलाये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वोटों से चुनी हुई सरकार जनता को बहला-फुसलाकर, झांसे देकर, लोकतंत्र का ढकोसला रच कर पूँजीवादी शोषण

तहरीर चौक

के अधिकार को कायम रखती है, जरूरत पड़े तो काले कानून लागू करती है, रोष प्रदर्शनों, आन्दोलनों, हड़तालों पर पाबंदी लगा देती है, आन्दोलनकारियों को जेलों में ठूंस देती है। यही है संसदीय लोकतंत्र। बुर्जुआ यानी पूँजीवादी लोकतंत्र का ढकोसला रचे बिना यह काम लोगों के सीने पर तान कर सेना बंदूक की नोक करती है। एक शासन में तो बुर्जुआ यानी पूँजीवादी तानाशही चलती है और दूसरे शासन में सैनिक तानाशाही चलती है जो असल में बुर्जुआ यानी पूँजीवादी तानाशाही का ही एक और रूप है।

होस्नी मुबारक के सत्ता से हटाये जाने के सिवाय जनता की और कोई भी माँग पूरी नहीं हुई। इसलिए एक बार फिर जन रोष आन्दोलन के रूप में फूट पड़ा है। उस दिन तहरीर चौक की इस बहादुराना लड़ाई को 'सर्वहारा दृटिकोण' अखबार ने पूर्ण समर्थन देते हुए कहा था कि इस लड़ाई को अगर सही अंजाम तक पहुँचाना है तो आज शोषित वर्ग की अपनी क्रान्तिकारी पार्टी और नेतृत्व का होना निहायत जरूरी है। क्योंकि असल में यह वर्ग संघर्ष है। आज भी हो रही इस लड़ाई को पूर्ण समर्थन देते हुए 'सर्वहारा दृटिकोण' अखबार यह उम्मीद करता है कि मिस्र की बहादुर शोषित-पीड़ित जनता अपने तजुर्बे से सबक लेकर अपने वर्ग की पार्टी व नेतृत्व को पैदा करने में सक्षम होगी।

ऑल इण्डिया एण्टी-इम्पीरियलिस्ट फोरम (एआईएआईएफ) का आन्ध्र प्रदेश राज्य सम्मेलन

एआईएआईएफ के आह्वान पर 20 नवम्बर को हैदराबाद में राज्य स्तरीय साम्राज्यवाद-विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को श्री ए.बी.के. प्रसाद, श्री एन माधव राव, श्री पप्पा राव और प्रोफेसर के.आर. चौधरी ने सम्बाधित किया। राज्य संयोजक कॉमरेड सी.एच.मुराहारी ने अध्यक्षता की।

इस अवसर बोलते हुए प्रो. के.आर.चौधरी ने आमतौर पर दुनिया के गरीबों पर और विशेषकर कृषि के क्षेत्र में साम्राज्यवादी आक्रमण का वर्णन किया। उन्होंने साम्राज्यवादी शोषण के विभिन्न दृष्टान्त दिए और कहा कि इसको रोकने और उखाड़ फेंकने का यह सही वक्त है। इस सम्बन्ध में एआईएआईएफ के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने सभी को इसके आह्वान पर आगे आने और इसके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने का आग्रह किया।

श्री ए.बी.के प्रसाद ने भारत और अमेरिका के बीच हुए परमाणु करार की तीव्र आलोचना की और लीबिया में कर्नल गद्दाफी की कायरतापूर्ण हत्या की निन्दा की। श्री एन माधव राव ने अफसोस जाहिर किया कि यह दुर्दशा देखने के लिए तो हम लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं लड़े थे जहाँ बेरोजगारी, महंगाई, फूट-परस्ती जनजीवन को तबाह कर रही है। श्री पप्पा राव ने अपने भाषण में बताया कि वॉल स्ट्रीट दखल करने वाले भूखे और बेरोजगार लोगों को अमेरिका कम्युनिस्ट बता रहा है। हालाँकि वे अभी कम्युनिस्ट नहीं हैं लेकिन उम्मीद है कि वे जल्द ही अपने को कम्युनिस्ट घोषित कर देंगे क्योंकि कम्युनिज़्म की विचाराधारा पुन: लोगों को अपनी ओर खींच रही है। कॉमरेड सी.एच. मुराहारी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ढाका में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जिक्र करते हुए साम्राज्यवाद के खिलाफ सशक्त आन्दोलन को समय की जरूरत बताया। प्राध्यापक श्री जॉनी बाशा ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखी।

सम्मेलन में, 'वॉल स्ट्रीट दखल करो' आन्दोलन के समर्थन में, नाटो और अमेरिका द्वारा गद्दाफी की नृशंस और जघन्य हत्या की निन्दा में, ढाका सम्मेलन की सफलता की कामना के लिए तीन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।

सम्मेलन में राज्य स्तरीय कमेटी के गठन की घोषणा की गई। जिसके अध्यक्ष श्री ए.बी.के. प्रसाद (एक प्रख्यात वरिष्ट पत्रकार और तेलगु भाषा कमेटी के पूर्व चेयरमेन) तथा सचिव सी.एच. मुराहारी होंगे।

खेती में बढ़ती लागत व कृषि उपजों की लूट के खिलाफ किसान पंचायत

हरियाणा के झज्जर जिला के बहादुरगढ़ व गाँव छुछकवास में 21 नवम्बर और 25 नवम्बर को खेती में बढ़ते लागत खर्च व कृषि उपजों की लूट के खिलाफ ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन की झज्जर जिला कमेटी के आह्वान पर किसान पंचायतें हुई। छुछकवास में नबाब वाली कोठी में हुई पंचायत की अध्यक्षता बलजीत सिंह ने की और संगठन के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड अनूप सिंह, प्रान्तीय सचिव कॉमरेड विजय कुमार, करतार सिंह, कर्ण सिंह ने मुख्य रूप से बात रखी। करतार सिंह ने सरकार की किसानों को उजाड़ने वाली पूँजीपरस्त नीतियों का खुलासा करते हुए कहा कि खाद, बीज, कीटनाशकों सहित खेती में काम आने वाली हर चीज के दाम बढ़ाये जा रहे हैं जबकि किसानों को धान, बाजरा, कपास व गेहूँ सहित सभी कृषि उपजों का लाभकारी वाजिब समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है और इस प्रकार किसानों को लूटा जा रहा है। कॉमरेड विजय कुमार ने कृषि भूमि का अधिग्रहण बंद करने की माँग करते हुए कहा कि सरकार उपजाऊ कृषि भूमि का कोड़ियों के भाव अधिग्रहण करके प्राइवेट कम्पनियों के हवाले करती जा रही है। कॉमरेड अनूप सिंह ने खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, बिजली व कृषि औजारों की कीमतें कम करने और देहाती मजदूरों को सालभर काम देने की माँग की। उन्होंने किसान खेत मजदूरों की ज्वलन्त माँगों को मानने के लिए सरकार को मजबूर कर देने के लिए जोरदार किसान आन्दोलन गठित करने का आह्वान किया।

किसान पंचायत ने अपनी माँगों को मनवाने और अपनी आवाज को ऊपर सरकार तक पहुँचाने के लिए आगामी 16 दिसम्बर को रोहतक में किसानों की एक बड़ी पंचायत करने का फैसला लिया। किसान पंचायत में संदीप, दोदराम, कृष्ण कड़ोदा, हेतराम शाहपुर, शेर सिंह व सत्ते अच्छेज, रामकिसन छुछकवास, महेन्द्र बम्बूलिया, देवेन्द्र मातनहेल व सुरेश अहलावत ने भी अपने विचार रखे।

बहादुरगढ़ में छोटूराम धर्मशाला में हुई किसान पंचायत की अध्यक्षता श्री हरि सिंह दहिया ने की। किसान पंचायत में संगठन के प्रान्तीय सचिव कॉमरेड विजय कुमार व मास्टर जयकरण ने मुख्य रूप से बात रखी।

एसयूसीआई (सी) के आह्वान पर संसद मार्च की तैयारी में मांग पत्र पर देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान

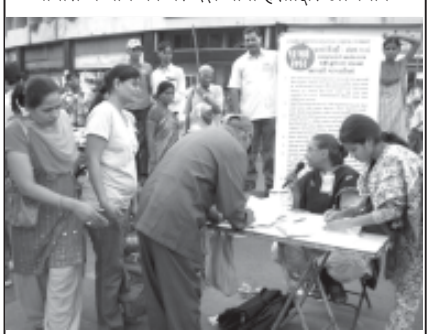

बेतहाशा महंगाई, भ्रष्टाचार, निजीकरण, कृषि भूमि का अधिग्रहण बंद करने आदि मांगों पर देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान में शामिल अहमदाबाद के नागरिक।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-12/1123/2009-2011
Posting at IPMBC on 7-8 and 22-23 of Every Month

ढाका में साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन तेज करने के संकल्प का एलान

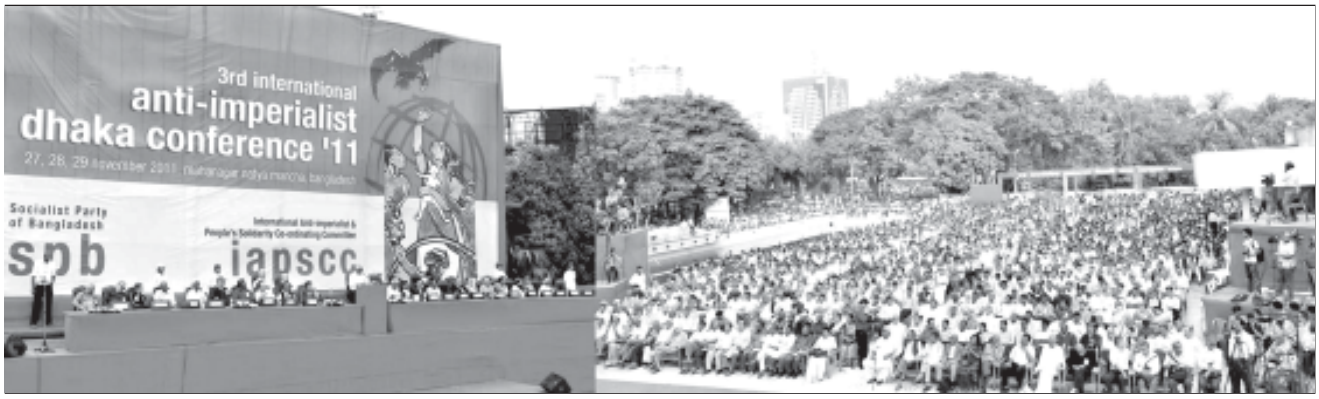

साम्राज्यवाद-विरोधी जुझारू आन्दोलन संगठित करने के संकल्प के साथ 27 नवम्बर से महानगर नाट्य मंच में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद-विराधी ढाका सम्मेलन शुरू हुआ। 25 देशों के संघर्षशील नेताओं व 800 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दस हजार से ज्यादा लोगों का सम्मिलित स्वर में देश देश में साम्राज्यवादी आक्रमण, लूट, दखलअंदाजी रोकने और युद्ध के खिलाफ प्रतिवाद संघर्ष तेज करने के साथ पूँजीवाद-साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के संकल्प का उद्घोष हुआ। ढाका में इंटरनेशनल एंटी इम्पीरियलिस्ट एण्ड पिपल्स सोलिडेरिटी को-ऑर्डिनेटिंग कमेटी (आईएपीएससीसी) और बांग्लादेश के समाजतांत्रिक दल(बासद) के संयुक्त तत्वावधान में 27 नवम्बर से महानगर नाट्यमंच में यह सम्मेलन शुरू हुआ। शहीदों को श्रद्धांजली देने के बाद नाट्यमंच के मैदान में बने विशाल मंच से बासद की केन्द्रीय कमेटी से महासचिव और आईएपीएससीसी के सचिवमण्डल के सदस्य का. खालेकुज्जमाल की अध्यक्षता में उद्घाटन अधिवेशन शुरू हुआ। इसी समय जोरदार तालियों और गूँजते नारों के बीच आईएपीएससीसी के महासचिव कॉ. माणिक मुखर्जी ने मंच पर आसन ग्रहण किया। नेपाल की यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी सदस्य व पूर्व उप प्रधानमंत्री कृष्ण बहादुर माहरा, अमेरिका की वर्कर्स वर्ल्ड पार्टी के सचिवमंडल की सदस्य व आईएपीएससीसी के सचिवमंडल की सदस्य सारा फलाउंडर्स सहित उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका,सीरिया, मिस्र, टर्की, जोर्डन, ईरान, लेबनान, फ्रांस, कनाडा, मारक्को, कतर, भारत सहित 25 देशों से आये हुए नेताओं ने इसमें शिरकत की।

कॉमरेड खालेकुज्जमान ने अपने भाषण में कहा कि हम साम्राज्यवादी बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों और साम्राज्यवाद के ताबेदार शासक वर्ग के हाथों से बांग्लादेश की तेल-गैस-कोयला समेत तमाम प्राकृतिक एवं खनिज सम्पदा की रक्षा के लिए और अमेरिका में लोग विश्व पूँजीवादी-साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के प्राण केन्द्र वाल स्ट्रीट को दखल करने के लिए संघर्षरत हैं। दोनों आन्दोलनों का उद्देश्य एक ही है–शोषण से मुक्ति, साम्राज्यवादी युद्ध, लूट-खसोट व कब्जों से छुटकारा। उन्होंने बांग्लादेश में पूँजीवाद-साम्राज्यवाद विरोधी व्यापक आन्दोलन गठित करने के लिए सभी वाम-प्रगतिशील -देशप्रेमी साम्राज्यवाद-विरोधी संगठनों और व्यक्तियों का आह्वान किया। आईएपीएससीसी के महासचिव, एसयूसीआई(सी) के पोलिट ब्युरो सदस्य कॉ. माणिक मुखर्जी ने कहा कि ट्यूनिशिया से लेकर मिस्र तक, अमेरिका के 'वाल स्ट्रीट को दखल अभियान' –हर जगह आज पूँजीवाद-साम्राज्यवाद के खिलाफ जनाक्रोश फूट पड़ रहा है। ऐसे में यह सम्मेलन हमारे लिए अत्यन्त तात्पर्यपूर्ण है। आईएपीएससीसी के अध्यक्ष रामसे क्लार्क अस्वस्थ होने की वजह से आ नहीं पाये। उनका लिखित भाषण कॉ. सारा फलाउंडर्स ने पढ़कर सुनाया। उन्होंने अमेरिका को मानवता, शांति व सभ्यता का दुश्मन करार देते हुए कहा कि हम लोग अपने अेश में भी अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकों की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके बाद कॉ. कृष्ण बहादुर ने कॉ. पुष्प कमल दहल प्रचण्ड का संदेश पढ़कर सुनाया। 29 नवम्बर को ''ढाका घोषणा'' पारित करने के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

पेन्शन फण्ड में एफडीआई का विरोध

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 21 नवम्बर, 2011 को जारी एक बयान में कहा : भूमण्डलीकरण-निजीकरण-उदारीकरण की घोर जनविरोधी पूँजीपतिपरस्त नीतियाँ अपनाने व लागू करने के दिन से ही जो सब जनकल्याणकारी काम भारत सरकार इसकी देखरेख में होते थे उन्हें करने की अपनी जिम्मेदारी से अब वह धीरे-धीरे अपना पल्ला झाड़ती जा रही है। उल्टे, सरकार सामाजिक सुरक्षा व अन्य जनोपयोगी क्षेत्रों को व्यापारिक आधार पर चलाने के लिए मुनाफाखोर निजी एकाधिकारी पूँजीपतियों को सौंपती जा रही है। देशी-विदेशी एकाधिकारी पूँजी की मुनाफे की भूख मिटाने की घिनौनी साजिश के एक हिस्से के तौर पर पेन्शन आधारित 'परिभाषित' हितलाभ सरकारी खजाने से पाने का मेहनतकश जनता के लम्बे अर्से से कायम बड़े संघर्षों से हासिल हक छीनने और नई पेन्शन स्कीम के जरिये उस 'परिभाषित' हितलाभ व्यवस्था को बदल देने का फैसला सरकार पहले ही ले चुकी है जिसे जनआन्दोलन के दबाव में एक समय लागू करने पर वह मजबूर हुई थी। यह नई पेन्शन स्कीम, हालाँकि अंशदानवाली है, लेकिन सरकार इन फण्डों को भी सट्टेबाजी के पूँजी बाजार में निवेश करने के लिए निजी फण्ड प्रबंधन कम्पनियों के हाथों में दे देगी जहाँ रिटर्न अनिश्चित है और व्यापक उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। इस नई पेन्शन स्कीम और पेन्शन फण्डों से संबंधित सभी मामलों के संचालन, देखरेख व प्रबंधन के लिए अधिकृत पीएफआरडीए नामक एक स्वतंत्र स्टेच्युटरी ऑथोरिटी के गठन का देश की मेहनतकश जनता द्वारा जोरदार विरोध किया जाता रहा है। लेकिन मेहनतकशों की फरियाद सुनने की बजाय सरकार ने अब इन पेन्शन फण्ड प्रबंधन कम्पनियों में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजीनिवेश का रास्ता खोल कर पेन्शन की धनराशि से खिलवाड़ करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया है और बड़े खौफनाक ढंग से असुरक्षित बना देते हुए विदेशी एकाधिकारी पूँजीपतियों और सट्टेबाजों को मेहनतकश जनता की एकमात्र सामाजिक सुरक्षा स्कीम के विशाल धन भण्डार को लेकर जुआखोरी करने की मंजूरी दे दी है। यहाँ यह याद दिला देना प्रासंगिक है कि अमेरिका में सब-प्राइम संकट पैदा होने के बाद बड़ी-बड़ी वित्तीय संस्थाएं व फण्ड मैनेजर जो अब तक बैंक कर्जों, पेन्शन फण्डों व बीमा की धनराशि को लेकर व्यापक पैमाने पर सट्टेबाजी में लगे हुए थे वे रातों रात दिवालिये हो गये थे जिस वजह से लोगों के पेन्शन के संसाधनों के बहुत बड़े हिस्से का वास्तविक ह्रास हुआ और लाखों लाख आम आदमियों, खासकर सेवानिवृत बुजुर्गों का भविष्य दाव पर लग गया। लोगों की कष्ट कमाई की बचतराशि को अत्यंत अनिश्चित और सट्टेबाजी वाले शेयर बाजार में लगाने के लिए प्राइवेट ऑपरेटरों के हवाले कर देने और इस प्रकार पेशनधारकों को रातोंरात रास्ते के भिखारी बना देने के विभिन्न पूँजीवादी सरकारों की ओर से उठाये गये ऐसे घटिया कदम का विश्वव्यापी जबरदस्त विरोध है। पूरी पूँजीवादी दुनिया में लोगों के इस जबरदस्त विरोध की उपेक्षा करते हुए लोगों के धन को निजी सट्टेबाजों और जुआरियों के हवाले कर देने के उसी विनाशकारी रास्ते पर चलना भारत सरकार ने जिस तरह चुन लिया है, वह बेहाल और बदहाल देशवासियों के साथ एक आर्थिक अपराध करने जैसा है। यह भी समान रूप से धिक्कारने लायक है कि सरकार लाभार्थी कर्मचारियों द्वारा इस फण्ड से एमरजेन्सी में पैसे निकालने पर कड़ा प्रतिबंध लगा रही है ताकि कहीं इस विशाल धनराशि को लेकर प्राईवेट ऑपरेटरों की सट्टेबाजी करने वाली गतिविधियों में कोई दिक्कत न आ जाये। इस घिनौनी नीति पर चलते हुए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी शेयर होल्डिंग का पूँजी विनिवेश करने पर तुली हुई है और आम आदमी के लिए ज्यादा से ज्यादा दु:ख-दर्द और मुसीबतों की भरमार करते हुए खुदरा व्यापार, बैंकों, बीमा और एयरलाइन्स आदि में, यहाँ तक कि धीरे-धीरे इन सब अहम क्षेत्रों में नियंत्रणकारी हिस्सा रखने की हद तक एकाधिकारी पूँजीपतियों को खुला प्रवेश करने देने की इजाजत देती जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र को एक जुए के अड्डे में तब्दील कर डालने और लोगों की पेन्शन बचतों को पूँजीवादी बाजार में सट्टेबाजी की सनक पूरी करने के लिए खोल देने और इस तरह न केवल जमा बचत राशि की उचित सुरक्षा के साथ-साथ सुनिश्चित रिटर्न के सतत प्रवाह को खतरे में डाल देने बल्कि इस जमा बचत राशि की ही सुरक्षा को जोखिम में डाल देने के पूँजीवादी सरकार के इस घृणित कदम का हम कड़ा विरोध करते हैं। दु:ख-तकलीफ झेल रहे लोगों का ध्यान हम इस बात की ओर भी दिलाना चाहते हैं कि सरकार ऐसे तबाही मचाने वाले रास्ते का सहारा इसलिए ले रही है क्योंकि ताकतवर जनविरोध के अभाव में इस पर कोई रोकटोक नहीं रही है। इसलिए हम लोगों से आह्वान करते हैं कि सरकार को एक पर एक घातक हमले करने से कदम वापिस हटाने को मजबूर करने के लिए वे लामबंद हों, सही क्रांतिकारी नेतृत्व में देशव्यापी जोरदार जनवादी जनआन्दोलन खड़ा करें और जन आन्दोलनों को इनकी तार्किक परिणति पर पहुँचाने में मार्गदर्शन करने के लिए सही क्रांतिकारी पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे आयें।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष: 011-25726631, E-mail: sarvaharadrishtikon@yahoo.com